न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 02/2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1 विरमराम पुत्र गंगाराम जाति सीरवी निवासी बासना तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. पेमाराम पुत्र गेनाराम जाति सीरवी निवासीगण बासना तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित अधिवक्तागण अप्रार्थी उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक :–** 27/05/21

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बासना, पटवार हल्का बासना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आई हुई है। अप्रार्थी के खसरा नम्बर 747 रकबा 0.2100 हैक्टर की जोत में नया मार्ग प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 746/2 रकबा 0.3400 हैक्टर में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हैं। अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में रास्ता के खसरा नंबर 729 स्थित हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के चारो तरफ तारबंदी कर माठो का बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में पंहुच के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी की कृषि भूमि के बीच स्थित माठ के सहारे सहारे रास्ते की मांग की गई। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो खसरा नंबर 747 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खसराजात की भूमि खसरा नंबर 746/2 तक दिलाये जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे एवं श्री गोविन्दसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

किया, सा0मि0 किया गया। आज दिनांक तक जबाव प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जबाब प्रार्थना पत्र का अवसर समाप्त किया जाकर जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नही से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/633 दिनांक 17.05.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 अटपड़ा, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि सरहद मौजा बासना के ख0नं0 746/2 रकबा 0.34 है0 किस्मा बा.अ. विरमराम पुत्र गंगाराम सीरवी सा.देह खातेदार रहन–एसबीबीजे सोजत सिटी के नाम से दर्ज है, जिसने ख0नं0 747 रकबा 0.21 किस्म बा0अ0 में से रास्ता चाहा हैं। ख0नं0 747 पेमाराम पुत्र गेनाराम जाति सीरवी सा0देह खातेदार के नाम से दर्ज हैं। प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा मार्क एबीसीडी की लम्बाई 96 मी. व चौड़ाई 3 मी. हैं। प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0288 है0 बनता हैं। मौके पर ख0नं0 747 अभी खिल किया हुआ है तथा मार्क एडीसीई तारबंदी व जाली की हुई तो मार्क सी से डी पत्थर की पट्टी के टुकड़े लगे हुए है तथा जाली की हुई नहीं हैं। मार्क एबी लौहे की फाटक लगी हुई हैं। जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 96 मीटर × 3 मीटर = 0.0288 है0 हैं। ख0नं0 747 में से 0.0288 है0 भूमि रास्ता हेतु दिया जाना उचित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 135562 /– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (135562/– रू0 × 2 × 0.0288 है0 =7809 /– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 747 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत अटपड़ा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा नम्बर 746/2 रकबा 0.3400 है0 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अप्रार्थी के खसरा नंबर 747 रकबा 0.2100 हैक्टर में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 अटपड़ा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 747 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम बासना, पटवार हल्का बासना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आई हुई है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 746/2 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थी की खसरा नंबर 747 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 747 में से (135562 /– रू0 × 2 × 0.0288 है0 =7809 /– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

क्र0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	747	0.2100 है0	पेमाराम पुत्र गेनाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-सीरवी सा. देह खोतदार	96 मी0× 3 मी0 = 0.0288 है0	7809/- /-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/14 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)